

## सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र

सेवा में,

दिनांक-07.07.2010

एकाइण्ट ऑफिसर/सूचनाधिकारी  
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली  
वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च  
नरीमन भवन- नई दिल्ली।

महोदय,

प्रार्थी डॉ० कैसर अहमद शेख इन्स्टीच्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होमियोपैथी ऑफ इण्डिया का लाइसेंस अण्डर सेक्शन 25 ऑफ कम्प्यूटिंग एक्ट 1956 के तहत एक पंजीकृत संस्था है। प्रार्थी उसका सचिव है। इलेक्ट्रो होमियोपैथिक चिकित्सा जगत में यह संस्था 26.06.1996 से अनवरत कार्यरत है। इलेक्ट्रो होमियोपैथिक के प्रचार-प्रसार व प्रशिक्षण व चिकित्सा जगत में अपूर्ण योगदान किया है।

अतः प्रार्थी रजिस्ट्रार/सक्षम प्राधिकारी (सूचना) आदेश दिनांक 07.05.2010 के बारे में निम्नलिखित, लिखित सूचना प्राप्त करने का आवेदन देता है।

1. क्या दिनांक 07.05.2010 का आदेश मौ० सलीम सचिव, केन्द्र सरकार द्वारा हस्ताक्षरित सत्य व सही है।
2. क्या दिनांक 07.05.2010 का आदेश इन्स्टीच्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होमियोपैथी ऑफ इण्डिया पर भी लागू होगा।
3. क्या सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.05.2010 के पहले सभी निष्प्रभावी हो जायेंगे।
4. क्या दिनांक 07.05.2010 का आदेश सम्पूर्ण भारत वर्ष में संचालित इलेक्ट्रो होमियोपैथिक संस्थाओं व चिकित्सकों पर लागू होगा।

अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी को उपरोक्त लिखित सूचना यथाशीघ्र डाक से भेजने का कष्ट करें।

संलग्नक-

पोस्टल आर्ड नं. 80 E . 500 230

आदेश की छायाप्रति।


पता-

डा० कैसर अहमद शेख

सचिव इन्स्टीच्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होमियोपैथी ऑफ इण्डिया

न्यू कालोनी कटघरा, पोस्ट सदर, जिला जौनपुर।

प्रार्थी

  
( डॉ० कैसर अहमद शेख )

मौ०- 9450085480

No. V.25011/426/10-HR  
Government of India  
Ministry of Health & Family Welfare  
(Department of Health Research)  
\*\*\*\*\*

**By Speed Post**

Nirman Bhawan, New Delhi;  
Dated: 22.09.2010.

24

To,

✓ Sh. Adhikrao B. Pawar,  
Lakhamapur  
Tat: Satana,  
Dist: Nasik - 423213 (Maharashtra)

Subject:- Application dated 17.08.10 of Sh. Adhikrao B. Pawar under the Right to Information Act, 2005.


Sir,

I am directed to refer to your application dated 17.08.10 under the Right to Information Act, 2005 seeking information regarding electropathy and to provide point-wise information as under:-

**Point No.1:** The Ministry of Health & Family Welfare Order No. V.25011/276/2009-HR dated 05.05.2010 is applicable to all concerned.

2. Under section 19(1) of the Right to Information Act, 2005, Ms. Shalini Prasad, Joint Secretary is the First Appellate Authority.

Yours faithfully,



(J. P. Menta)

Deputy Secretary to the Govt. of India & CPIO  
Telefax: 23062666

Copy to the Cdn. II Section with reference to their endorsement no.1327 dated 17.09.2010.

स्पीड पोस्ट द्वारा

सं. वी. 25011/331/2010-एच आर  
भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)  
\*\*\*\*\*

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011  
दिनांक 11 अगस्त, 2010

सेवा में,

✓ डा. कैसर अहमद शेख,  
सचिव,  
इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी ऑफ इंडिया,  
न्यू कॉलोनी, कटघरा,  
पोस्ट सदर, जिला : जौनपुर (उत्तर प्रदेश)

विषय:- इलेक्ट्रो होम्योपैथी से संबंधित सूचना मांगने के संबंध में डा. कैसर अहमद शेख का आर  
टी आई आवेदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपके दिनांक 07.05.2010 के पत्र का हवाला देने का निदेश  
हुआ है जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मांगी गई है। उक्त पत्र में  
आपके द्वारा मांगी गई अपेक्षित सूचना का विवरण नीचे दिया गया है :-

बिन्दु सं.	बिन्दु	उत्तर
1	क्या मो. सलीम, अवर सचिव, भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 07.05.2010 का आदेश सही एवं विश्वसनीय है ?	जी हाँ
2	क्या 07.05.10 का आदेश इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी ऑफ इंडिया पर भी लागू होगा ?	आदेश की प्रति संलग्न है।
3	क्या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश	

date: 17/8/2010

To Secretary Govt. of India  
Ministry of Health & Family Welfare  
Research Department.  
Delhi

Applicant :- Adhikarao B. Pawar

Address :- Lakhmapur Tal: Sutarna  
Dist. Nasik - P.Co. 423213

Subject :- Under RTI Act

Information Subject:-

U Yours Department order date 5 May 2010  
is applicable to all Electropath  
Educational Institute or Spectra ?  
Here in P.P.O. of Rsk 201-

Thank You  
B. Pawar

	05.05.10 से पूर्व अनावश्यक हो जाएंगे ?	
4	क्या दिनांक 07.05.2010 का आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इंस्टीट्यूट और समस्त भारत के चिकित्सकों पर लागू होगा ?	जी. हाँ

2. आर टी आई अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अनुसार इस विभाग में संयुक्त संचिव सुश्री शालिनी प्रसाद, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी हैं।

आपका,

*(Handwritten Signature)*

(जे.पी.मेहता)

उप सचिव, भारत सरकार

एवं सी पी आई ओ

फॉन : 23062666

संलग्नक : 48(1) पृष्ठ

अनुभाग अधिकारी (समन्वय-II) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को उनके पृष्ठांकन सं. 822/12.07.2010 के संबंध में प्रतिलिपि प्रेषित।